न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार योगी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 41/2020

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
चूनाराम पुत्र मूलांराम जाति जाट निवासी दूजासर तहसील खींवसर जिला नागौर।		1 रामूराम 2 श्यामलाल 3 रेंवतराम 4 उम्मेदराम पुत्रान जोगाराम जातियान जाट निवासीगण दूजासर तहसील खींवसर जिला नागौर। 5 तहसीलदार खींवसर जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री बाबूलाल भादू अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री पुरखाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 से 04 की ओर से।
3. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 05 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 12.02.2024

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार खींवसर मौजा दूजासर के बंटवाडा आदेश दिनांक 31.05.18 से असंतुष्ट होकर दिनांक 21.09.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट की अपील दिनांक 01.10.2020 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 01 से 04 की ओर से श्री पुरखाराम चौधरी अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 05 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में बंटवारा आदेश 31.05.18 की फोटोप्रति तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 की ओर से अधिवक्ता ने ग्राम दुजासर की जमाबंदी संवंत् 2071 से 2074, 2077 की फोटोप्रति पेश की।

{2}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने मियाद के बिन्दु पर बहस शुरू करते हुए तर्क दिया कि उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी क्योंकि अपीलांट अनपढ व अत्यधिक वृद्व व्यक्ति है तथा अपीलांट ने यही सोचकर अपना अंगुष्ठ निशान लगायी कि मौके पर कब्जा काश्त अनुसार ही बंटवाडा कर हिस्सा रखा गया है मगर रेस्पों संख्या 1 से 4 ने अपना निजी हित साधते हुए मौके पर किये गये बंटवाडा व कब्जा काश्त के विपरीत बंटवाडा करवा लिया गया जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं होने दी। अभी कुछ दिन पूर्व रेस्पों संख्या 1 से 4 के द्वारा अपीलांट द्वारा अपने कब्जे काश्त की जमीन पर काश्त करना शुरू किया तो अपीलांट को काश्त से रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा मना करने पर एवं रेस्पों संख्या 1 से 4 के कहने पर तथा जिस पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में किये गये बंटवाडा की पत्रावली की नकल हेतु दिनांक 15.09.2020 को आवेदन किया। जिस पर अपीलांट को दिनांक 16.09.2020 को नकल प्राप्त हुई तथा दिनांक 17.09.2020 को नागौर आकर विधिक राय व सलाह मशविरा किया तथा दिनांक 18.09.2020 को अपील तैयार करवायी तब तक कार्यालय का समय समाप्त हो गया और दिनांक 19.09.2020 व 20.09.2020 को राजकीय अवकाश से यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की। जिससे अन्दर मियाद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है। अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है, अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अपीलाधीन आदेश विधि के प्रावधानों तथा मौके के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा विधि विरूद्व पारित किया जाना होने से प्रथम दृष्टिया अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.05.18 को आवेदन पत्र बंटवाडा फार्म इत्यादि पेश किये गये तथा उसी दिन पत्रावली का निस्तारण कर दिया गया इससे साफ जाहिर है कि जो मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं भू निरीक्षण द्वारा रिपोर्ट मौके की पेश करने की बात कही गई है मौके पर गये बिना ही तहसील कार्यालय में बैठे बैठे ही प्रफोर्मा कॉलम में रिपोर्ट का अंकन कर दिया गया है जबकि धारा 53 के अनुसार संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को मौके पर जाकर के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की जानी होती है ऐसी रिपोर्ट तैयार मौके पर नहीं करने व मौके नहीं देखने से एवं मौके पर कब्जा काश्त के विरूद्व बंटवाडा कर देने से प्रथम दृष्टया अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–वादग्रस्त खसरा नम्बर 561/1524 रकबा 122 बीघा 2 बिस्वा पूर्व में अपीलांट के पिता व रेस्पों संख्या 1 से 4 के दादा के नाम खातेदारी थी तत्पश्चात उनके फौत हो जाने के पश्चात उनका नामान्तरकरण उनके पुत्र अपीलांट चूनाराम व रेस्पों संख्या 1 से 4 के पिता जोगाराम का देहान्त होने पर उनके पुत्रगण रेस्पों. संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज हुआ तथा उक्त भूमि का बंटवाडा जोगाराम के जीवन काल में ही जोगाराम व चूनाराम के मध्य हो गया था। काफी वर्षों से बंटवाडा कर अलग अलग रूप से कब्जा काश्त है मौके पर व कब्जा काश्त पर उसी अनुसार बंटवाडा होना चाहिए था। आज दिन मौके पर कब्जा काश्त अनुसार जो बंटवाडा होना चाहिए था। इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)– वादग्रस्त खसरान की भूमि में 1/4 हिस्सा रेस्पों. संख्या 5 का निहित करता है क्योंकि रेस्पों. संख्या 5 हणुताराम की पुत्री है जिसका कानूनी रूप से हिस्सा बनता है मौके पर बंट व कब्जा काश्त है केवल मात्र खातेदारी मे नाम नहीं होने से उसका नाजायज फायदा उठाते हुए रेस्पों संख्या 4 को उसके हक

अपर कलक्टर, नागौर

हिस्से से महरूम किया गया है जबकि रेस्पों. संख्या 5 के द्वारा किसी भी प्रकार का अपना हक हिस्सा त्याग नहीं किया गया है इसके अलावा भी उसकी जानकारी के अभाव में बाले बाले ही बंटवाडा करवा लिया जाने से एवं रेस्पों. संख्या 5 का हक हिस्सा नहीं रखने से भी उक्त आदेश कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)– खसरा नम्बर 561/1524 रकबा 122 बीघा 2 बिस्वा का बंटवाडा निम्न प्रकार से किया गया था जिसमें पश्चिम तरफ रेस्पो. उम्मेदाराम 15 बीघा, उसे पूर्वी तरफ अपीलांट चूनाराम का 15 बीघा, उसके बाद पूर्वी तरफ रेस्पो. श्यामलाल, रेंवतराम, रामूराम के 30 बीघा, उसके बाद पूर्वी दक्षिणी तरफ अपीलांट चूनाराम के 46 बीघा 1 बिस्वा एवं रेस्पो. श्यामलाल, रेंवतराम व रामूराम के 16 बीघा 1 बिस्वा उतरी तरफ कब्जा काश्त बंट है व इसी प्रकार बंटवाडा किया गया था। उसी अनुसार बंटवाडा करवाया जावे व मौके से मौका रिपोर्ट मंगवायी जावे, इसलिए मौके के विपरीत व मौके पर जाकर के कब्जा काश्त अनुसार रिपोर्ट तैयार नहीं की गई होने से व मौके के विपरीत बंटवाडा कर दिये जाने से अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

{3}–रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 04 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त बंटवाडा दोनो पक्षों ने आपसी सहमति के जरिये बंटवाडा किया है, जिसमें अपीलांट के अंगुष्ठ निशान भी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बंटवाडा विधि अनुसार किये जाने से अपील खारिज की जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2013(2) पेज 1428 से 1431 तथा आरआरटी 2016 (1) पेज 258 से 261 नजीरे पेश की।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। तहसीलदार खींवसर मौजा दूजासर के बंटवाडा आदेश दिनांक 31.05.18 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रकरण में दस्तावेजो के अवलोकन से प्रतीत होता है मौके पर विभाजन को लेकर नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है। जिस पर इन खातेदारान के अंगुष्ठ निशान, हस्ताक्षर व तहसीलदार से प्रमाणित है तथा बंटवाडा के संलग्न दस्तावेज बंटवाडा डीड में भी पक्षकारान के अंगुष्ठ निशान/हस्ताक्षर एवं तहसीलदार से प्रमाणित है, उक्त विभाजन प्रस्ताव को सरपंच ग्राम पंचायत माडपुरा द्वारा भी तस्दीक किया गया है। अतः अपीलांट का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि उक्त बंटवाडा प्रस्ताव पर उसकी सहमति नहीं है। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि बंटवाडा आपसी सहमति से ही किया गया है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील विधि अनुसार ही पारित किया जाना प्रतीत होता है।

{5}–उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हाने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार योगी)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर